भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1786
(दिनांक 30.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

डिजिटल प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंसरों के विज्ञापनों में अश्लील या हानिकारक सामग्री

1786. श्री राहुल कस्वांः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मई 2025 में सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मध्यस्थों को पाकिस्तान से आने वाली सभी मीडिया सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश देते हुए परामर्श जारी किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्देश के पीछे क्या तर्क है और क्या इसके कोई पूर्व उदाहरण हैं;

(ग) क्या सरकार डिजिटल प्लेटफार्मों पर "अश्लील" या "हानिकारक" विषय-वस्तु और इन्फ्लुएंसरों के विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए साथ-साथ नए विनियमों का प्रारूप तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रारूप ढांचे और विषय-वस्तु की सीमाओं के संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का नए प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक के अंतर्गत त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र अथवा विषय-वस्तु मूल्यांकन निकाय बनाने का विचार है; और

(च) यदि हाँ, तो इसके कार्यान्वयन के लिए अनुमानित संरचना, निरीक्षण प्रक्रिया और समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (च): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया, आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

- नियम के भाग-III में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान है।
- ओटीटी प्लेटफॉर्मो पर यह दायित्व है कि वे ऐसी किसी भी सामग्री प्रसारित न करें जो वर्तमान में लागू कानून द्वारा प्रतिबंधित हो।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु-आधारित स्व-वर्गीकरण करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें नग्नता और यौन संबंधी चित्रण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- ओटीटी प्लेटफॉर्मो पर बच्चों की आयु के अनुपयुक्त सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू करने का भी दायित्व है, जिसमें पर्याप्त पहुँच नियंत्रण उपाय भी शामिल हैं। इसके अलावा, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) में प्रावधान है कि संबंधित सरकारें किसी गैरकानूनी कृत्य या सामग्री की सूचना मध्यस्थों को प्रदान करे ताकि ऐसी सामग्री को हटाया जा सके/ इसे निष्क्रिय किया जा सके।

सरकार ने ओटीटी प्लेटफार्मों और ओटीटी प्लेटफार्मों के स्व-विनियामक निकायों को अपने प्लेटफार्मों पर सामग्री की होस्टिंग करते समय भारतीय कानूनों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 19.02.2025 को एडवाईजरी जारी की है।

संबंधित मंत्रालयों के साथ उचित परामर्श के बाद अब तक 43 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक कर दिया गया है।

****